शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय

घुमका, जिला - राजनांदगांव

नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकित संस्था

विद्या विनय विवेक

विवरणिका

सत्र - 2024-25

अमृत कलश यात्रा

वीरों का अभिनंदन कलश यात्रा

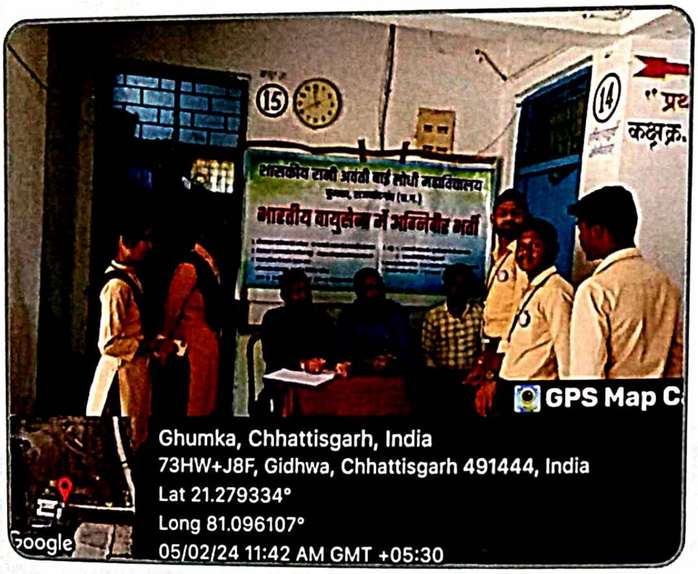

अग्निवीर पंजीयन कैंपस

वार्षिकोत्सव कार्यक्रम

मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम

ICT बेस्ट टीचिंग

विवरणिका

सत्र 2024-25

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) से सम्बद्ध एवं
यू.जी.सी. 2f तथा 12 (b) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त

शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय

घुमका
जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)
फोन : (07744-299550)

email : govt.collegeghumka@gmail.com
website : www.reblcollege.com

Rs. 50.00

वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी

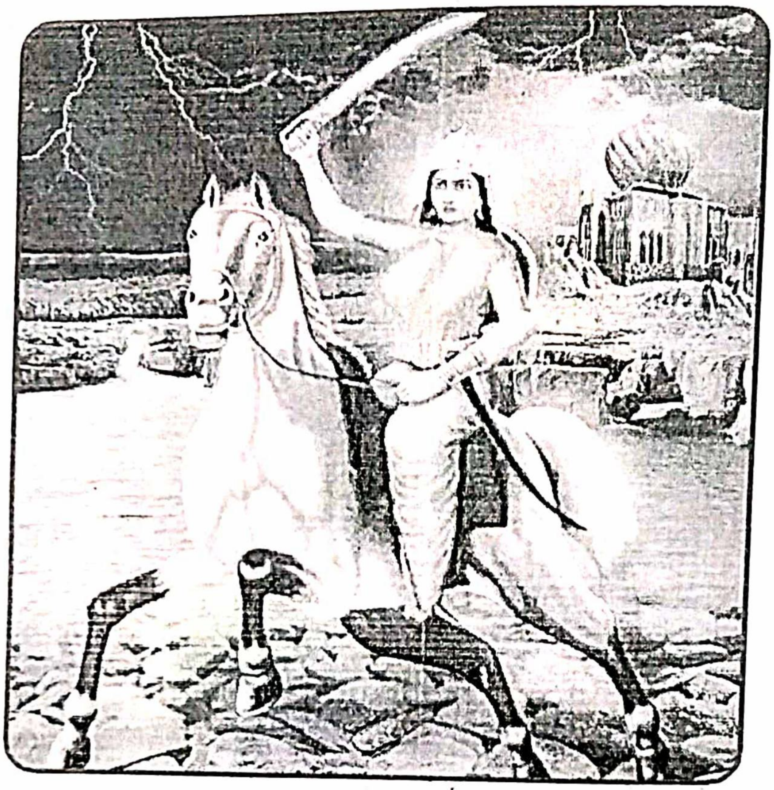

अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी थी । वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1931 को राजा जुझार सिंह के यहां माता कृष्णा बाई वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। रानी के दो पुत्र हुए अमन सिंह व शेर सिंह । राजा विक्रमादित्य बीमार होने से वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों से स्वयं लड़ती रही । रानी ने ''जिगर में जान है लोधी की पहचान है'' का नारा देते हुए गुलामी नहीं बलिदानी सही कहते 20 मार्च 1858 को शहीद हो गई ।

—: महाविद्यालय का लक्ष्य :—

1. उत्कृष्ट शिक्षा के माध्यम से अँचल के युवाओं को उन्नयन करना ।
2. विपन्न एवं कमजोर छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराना ।
3. परामर्श एव पुनश्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार की ओर अगसर करना ।
4. विद्यार्थियों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराना ।
5. विद्यार्थियों के जीवन निर्माण एवं कल्याण हेतु कार्य करना ।
6. नैतिक परामर्श एवं कार्यशाला का आयोजन करना ।
7. अकादमिक उत्कृष्टता एवं एकल प्रदर्शन की पहचान करना ।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत —

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ना भद्दे या अशिश्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय वढाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो ।

कनार्टक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1955), अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैंगिक की परिभाषा इस प्रकार है :—

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव—मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा—धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से वंदी वनाने चोट या अनुचित दवाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना ।

रैगिंग का स्वरूप :— रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :—

स्पष्ट आदेश :—

1. सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए ।
2. सामूहिक कवायद करने के लिए ।
3. सीनियरों के क्लास —नोट्स उतारने के लिए ।
4. अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए ।
5. सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए ।
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए ।
7. नये छात्रों के सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
8. शराव, उवलती हुई चाय, आदि पीने के लिए वाध्य करना
9. कामुक संकेतार्थ वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है
10. नंगा करना, चुंवन लेना आदि
11. अन्य अश्लीलताएं करना ।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड —

1. प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना ।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना ।
4. परीक्षाओं से वंचित करना ।
5. परीक्षा परिणाम रोकना ।
6. राश्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा—उत्सव में भाग लेने पर प्रतिवंध ।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना ।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25,000/— तक ।

प्राचार्य का संदेश

--::::--

वर्ष 2024–25 के शिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र–छात्राओं एवं उनके पालक एवं अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ।

15 अगस्त 1989 को राजनांदगांव जिले के गौरव ग्राम घुमका में महाविद्यालय की स्थापना की गई स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन से प्रारंभ हुआ शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका आज स्वयं के भवन में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों की शिक्षा प्रदान कर रहा है, इतना ही नहीं 1100 छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला यह महाविद्यालय स्ववित्तीय योजनांतर्गत एम. ए. हिंदी (सेमेस्टर पद्धति) में स्नातकोत्तर उपाधि की सुविधा दे रहा है ।

विगत शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय प्रबंधन ने छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक सकारात्मक प्रयास किये है । व्यक्तित्व विकास पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, यूथ–रेडक्रास, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जन चेतना के कार्य एवं सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रोत्साहन से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है ।

महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होता है । महाविद्यालय में सुसज्जित कम्प्यूटर लैब, कैरियर कांउसिलिंग सेल, रिडिंग रूम, जिम की स्थापना विद्यार्थियों के कल्याणार्थ की गई है ।

विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन हेतु टेस्ट परीक्षा एवं मॉडल टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाती है । प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम देने में सफल हुए है । महाविद्यालय के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, बी.पी.एल. के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है । खेलकूद के क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी नई पहचान बनाई है ।

सत्र 2017–18 से महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया है। इससे छात्रा–छात्राओं में अनुशासन छात्रों में एकरूपता एवं शैक्षणिक वातातरण को सम्बल मिला है । महाविद्यालय में सत्र 2017–18 से महाविद्यालय पत्रिका सचेतना का प्रकाशन का नया अध्याय शुरू हुआ है । शैक्षणिक भ्रमण, विज्ञान प्रदर्शिनी, आनंद मेला आदि विविध आयाजनों को शैक्षणिक उन्नयन तथा प्रतिभा विकास के लिये जोडा गया है ।

डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी
प्राचार्य

अध्यापन – विषय एवं कक्षाएं :–

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर अध्यापन सुविधा उपलब्ध है । कला संकाय में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास विषय का शिक्षण होता है । वाणिज्य संकाय में महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले सभी वैकल्पिक विषय एवं विज्ञान संकाय में बॉयो एवं गणित समूह का अध्यापन व्यवस्था है । स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिंदी विषय में अध्यापन की सुविधा है ।

समय–चक्र :–

1. विज्ञान संकाय – सभी संकायों का संचालन 10.30 से 5.30 बजे तक
2. एम.ए. हिंदी (स्नातकोत्तर कक्षा)
3. कला एवं वाणिज्य संकाय

कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत –

1. **प्रयुक्ति – ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय महाविद्यालय में लागू होंगे ।**
2. **प्रवेश की तिथि –**

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवदेन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पट्ल पर कम से कम सात दिन के पूर्व लगाई जावेगी ।
वोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5. 1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेगा । किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही, प्रवेश दिया जायेगा ।

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होंगी ।

2.4 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश पात्रता होगी

3. प्रत्येक कक्षा के लिये सीट संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण :–

3.1 महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि तथा शासन की अनुमति के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारित है :–

	कक्षा		सीट संख्या
1.	बी.ए. 1st सेमेस्टर		200
2.	बी. कॉम. 1st सेमेस्टर		60
3.	बी.एस.सी. 1st सेमेस्टर	(बॉयो.)	100
4.	बी.एस.सी. 1st सेमेस्टर	(गणित)	60
5.	एम.ए. हिंदी 1st सेमेस्टर		40

NEP 2020 CURRICULUM
B.Com-I^ST^ SEMESTER

S.N	SUBJECT	PAPERNAME	COURSE CODE	COURSETYPE
1	Fundamental Of Accounting	Fundamental Of Accounting	COSC-01	DSC
2	Business Law	Business Law	COSC-02	DSC
3	Business Economics	Business Economics	COSC-03	DSC
4	History	Ancient Indian History (From Beginning to Satvahan Dynasty)	HIGE-01	GE
5	Concept Of Business	Concept Of Business	COVAC-01	VAC
6	Environment Studies	Environment Studies	AEC 01	AEC

B.Com-II^ND^ SEMESTER

S.N.	SUBJECT	PAPERNAME	COURSE CODE	COURSETYPE
1	Business Accounting	Business Accounting	COSC-04	DSC
2	Business Environment	Business Environment	COSC-06	DSC
3	Business Mathematics	Business Mathematics	COSC-05	DSC
4	English Language	English Language	AEC 02	AEC
5	Botany	Gardening And Floriculture	BOSEC-01	SEC
6	Sociology	Changing Social Institutions In India	SOGE-02	GE

NEP 2020 CURRICULUM

B.SC- I^ST SEMESTER (MATHS+BIOLOGY)

S.N.	SUBJECT	PAPERNAME	COURSECODE	COURSETYPE
1.	Botany	Elementary Botany	BOSC-01	DSC
2.	Zoology	Life On Earth And Unique Attributes Of Animal Kingdom	ZOSC-01	DSC
3.	Chemistry	Fundamental Chemistry-1	CHSC-01	DSC
4.	Physics	Mechanics	PHSC-01	DSC
5.	Mathematics	Elementary Calculus	MASC-01	DSC
6.	Constitutional Value	Constitutional Value	PSVAC-01	VAC
7.	English Language	English Language	AEC-02	AEC
8.	History	Ancient Indian History (From Beginning to Satvahan Dynasty)	HIGE-01	GE

B.SC-II^ND SEMESTER- (MATHS+BIOLOGY)

S.N.	SUBJECT	PAPER NAME	COURSECODE	COURSETYPE
1.	Botany	Microbes And Thallophyta	BOSC-02	DSC
2.	Zoology	Cell Biology And Histology	ZOSC-02	DSC
3.	Chemistry	FundamentalChemistry-2	CHSC-02	DSC
4.	Physics	Electricity And Magnetism	PHSC-02	DSC
5.	Mathematics	Algebra	MASC-02	DSC
6.	Physics	Basic Electrical Skill	PHSEC-01	SEC
7.	Hindi Language	Hindi Language	AEC-03	AEC
8.	Political Science	Constitutional Government In INDIA	PSGE-02	GE
9.	Zoology	Vermiculture And Vermicomposting	ZOSEC-01	SEC
10.	History	Ancient Indian History (From Gupta Period to 1206 AD)	HIGE-02	GE

BA- I^ST SEMESTER

S.N.	SUBJECT	PAPER NAME	COURSECODE	COURSETYPE
1.	Sociology	Introduction Of Sociology	SOSC-01	DSC
2.	Political Science	Introduction To Political Theory	PSSC-01	DSC
3.	History	Ancient Indian History (From Beginning to Satvahan Dynasty)	HISC-01	DSC
4.	Economics	Basics Of Economics	ECSE-01	DSC
5.	Hindi	हिंदी साहित्य का इतिहास(आदिकाल से रीतिकाल तक)	HNSC-01	DSC
6.	Panchayati Raj System	Panchayati Raj System	PAVAC-01	VAC
7.	Hindi Language-1	Hindi Language-1	AEC-03	AEC
8.	Business Economics	Business Economics	COGE-03	GE
9.	Business Law	Business Law	COGE-02	GE

S.N.	SUBJECT	PAPER NAME	COURSECODE	COURSETYPE
1.	Sociology	Changing Social Institution In INDIA	SOSC-02	DSC
2.	Political Science	Constitutional Government In INDIA	PSSE-02	DSC
3.	History	Ancient Indian History(GuptaAgeTo1206AD)	HISC-02	DSC
4.	Economics	Basics Of Indian Economics	ECSE-02	DSC
5.	Hindi	हिंदी साहित्य का इतिहास(आधुनिक तक)	HNSC-02	DSC
6.	Sociology	Ethics Politics And Skill In Social Research	SOSEC-01	SEC
7.	Environmental Studies	Environmental Studies	AEC-01	AEC
8.	Business Economics	Business Economics	COGE-03	GE
9.	Business Law	Business Law	COGE-02	GE
10.	Political Science	Citizeship duties and E-Governance	Pssec-01	SEC

3.2 प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन विषय/विषय पर समूह का निर्धारण निम्नानुसार है –

वी.ए. भाग–2 एवं भाग–3
1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय – (कोई–तीन)
   1. समाजशास्त्र 2. राजनीति शास्त्र 3. हिंदी साहित्य
   4. अर्थशास्त्र 5. इतिहास

वी. कॉम. भाग–2 एवं भाग–3
1. अनिवार्य विषय–आधार पाठ्यंक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय – महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय

वी.एस.सी. भाग–2 व 3 (वॉयोलाजी ग्रुप)
1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय – प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र

वी.एस.सी. भाग–2 व 3 (गणित ग्रुप)
1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) एवं पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय – गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र

एम.ए. हिंदी (सेमेस्टर पद्धति) – (जनभागीदारी योजनांतर्गत)
1. सभी अनिवार्य विषय – (चार सेमेस्टर)

4. प्रवेश सूची : –

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना–पटल पर लगाई जायेगी ।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलाकर प्रमाणित किये जाने के उपरान्त एवं जहां आवश्यक हो स्नानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी ।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा ।

4.4 प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा । तथापि ऐसे प्रकरण में 30 जुलाई के पश्चात की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 *निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–*

(क) छ.ग. के मूल/स्थायी छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्ध शासकीय कर्मचारी तथा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छ.ग. में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा । उपर्युक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) संवद्ध विश्वविद्यालय से या संवद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.2 *स्नातक स्तर नियमित प्रवेश –*

(क) 1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों इंटरमीडियट बोर्ड समकक्ष परीक्षा से है ।

2. विज्ञान संकाय में गणित/जीवविज्ञान में प्रवेश हेतु आवेदित विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण हो ।

3. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु वाणिज्य/विज्ञान/गणित या साख्यिकी के साथ कला संकाय विषय लेकर /कला संकाय के अन्य विषय समूह लेकर उत्तीर्ण छात्रों को वाणिज्य संकाय में प्रवेश की प्रात्रता होगी ।

4. कला संकाय प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी कृषि/गृह विज्ञान अन्य विषय समूह लेकर आवेदकों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.3 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अंक 50% एवं सैद्धांतिक विषयों में पूर्णांक का 45% अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

(ख) स्थान रिक्त रह जाने की स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य कंडिका 5.4 (क) में निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में रिक्त स्थानों की पूर्ति तक आवश्यक शिथिलता प्रदान कर प्रवेश देने के लिए अधिकृत रहेंगे न्यूनतम अंक सीमा में अधिकतम 5% तक ।

(ग) प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है । अगली कक्षा में प्रवेश हेतु यह न्यूनतम अंक सीमा लागू नही होगी ।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर) के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई शिथिलता के पश्चात निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5% छूट प्रदान की जायेगी । परन्तु एम.एस.सी. पूर्व में प्रवेश हेतु 5% से अधिक नहीं होगी ।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई) तथा

राज्यों के स्कूल/इंटरमीडियट बोर्ड की 10+2 परीक्षाएं छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी ।

6.2 सामान्यतया भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय वि.वि. संघ (एसोशियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छ.ग. के वि.वि. की परीक्षाओं के समकक्ष मान्य हैं, उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय की बी.ए./बी.कॉम. (डायरेक्ट) वन सीटिंग परीक्षा मान्य नहीं है ।

6.3 संवद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य है उन्हीं को प्रवेश की पात्रता होगी ।

7. **बाह्य आवेदकों को प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) के छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदकों को महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा । आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता :–**

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

8.2 उपर्युक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

8.3 पूरक परीक्षा अनुर्तीण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा ।

9. **प्रवेश हेतु अर्हताएं : –**

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु नही माना जायेगा । उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों/परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी देने के बाद सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं ।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्रओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है ।

9.4 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.8.21 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठयक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त क़िया गया है.

9.5 पूर्ण कालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उनकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

12.7 प्रवेश की निर्धारित तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात वाद में लाये जाने वाले/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा । एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रावर्स के अर्थ में पढा जाये ।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	–	2 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	3 प्रतिशत
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	–	4 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का)	–	4 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी का	–	5 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स,	–	5 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	–	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	15 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	–	15 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्रम एन.सी.सी. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले स्काउट्स को	–	15 प्रतिशत

13.2 खेलकूद/साहित्यिक सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं –

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा संचालनालय आयोजित अन्तर जिला (संभाग स्तर) अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर (संभाग/क्षेत्र स्तर) प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 2 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 4 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.1 (उल्लेखित संचालनालयों द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय) प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित क्षेत्रिय प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 6 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 7 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 5 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में —

(क) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 15 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 10 प्रतिशत

13.3 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा साइंस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्रम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को — 10 प्रतिशत

13.4 छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को— 12 प्रतिशत

13.5 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों एवं उनके आश्रित को — 01 प्रतिशत

13.6 विशेष प्रोत्साहन —

एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेश्ठ कैडेट्स तथा ऑलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों वगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया सकेगा, जिनकी उन्हें पात्रता है ।

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं-

2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

13.7 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्रों, स्नातकोत्तर प्रथम प्रवेश हेतु विगत क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे । स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु सत्र के प्रमाण पत्र हेतु मान्य होंगे ।

संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—

(क) यदि कोई विद्यार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहे तो उसके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा । अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा ।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में निर्देशित प्रवेश की तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी । यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनकों प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के समकक्ष या उससे अधिक हों ।

15. विशेष :–

15.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रकाशकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है ।

15.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है ।

15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को है ।

15.4 प्रवेश के बाद विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई वापस नहीं किया जायेगा

15.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

15.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है । इन मार्गदर्शक सिद्धांत में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसर/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा ।

16. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र :–

जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल छात्र–छात्राओं को आवेदन महाविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में देना होगा । जिसे कार्यालय से आवश्यक शुल्क देने के बाद प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करना आवश्यक करना है । इसके अभाव में आवेदन अस्वीकार कर दिया जावेगा ।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मूलप्रति (केवल उन्ही आवेदक के लिए जो गत वर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे ।)
2. नये छात्र छात्राओं के लिए पासपोर्ट साइज फोटो की दो प्रतियां (एक आवेदक के लिए निर्धारित स्थान पर चिपकाएं तथा दूसरी प्रति परिचय पत्र के लिए यूपिन से या आलपीन से लगायें) गत वर्ष के छात्र अपना परिचय पत्र नवीनीकरण हेतु संलग्न करें ।
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र, अंकसूची की प्रमाणित सत्य सत्यलिपि भाग–1 में प्रवेश हेतु ।
4. अंकसूची की फोटो कापी ।
5. चरित्र संबंधी नवीनतम दो प्रमाण पत्र (दो सम्मानीय व्यक्तियों से लिए गए) । ये प्रमाण पत्र केवल उन्ही छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने है जिन्होंने गत परीक्षा स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की है ।
6. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल उन्ही छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक है जो सेवारत है) ।
7. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक सिकी अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से आया है ।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग छात्र/माता पिता के मध्यप्रदेश शासन में तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र ।
9. मृत शासकीय कर्मचारी के पुत्र होने का प्रमाण पत्र ।
10. गैंप होने पर छात्र का शपथ–पत्र निम्नलिखित प्रारूप में देना होगा । (गैंप वर्षो के लिए)

17. प्रवेश शुल्क :–

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को शासकीय, अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन शुल्क देय होंगे जो निम्नानुसार हैं :–

(अ) शासकीय शुल्क :–

1	शिक्षण शुल्क स्नात्तक / स्नातकोत्तर	115.00 / 126.00
2	प्रवेश शुल्क	3.00
3	स्टेशनरी शुल्क	2.00
4	प्रायोगिक शुल्क (केवल विज्ञान संकाय हेतु)	20.00

(ब) अशासकीय शुल्क :– (AF / PD)

1	छात्रसंघ शुल्क	70.00
2	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	2.00
3	परिचय–पत्र	50.00
4	महाविद्यालयीन विकास शुल्क	70.00
5.	सायकल स्टैण्ड	25.00
6.	सम्मिलित निधि (यूनियन गतिविधियां 20/– क्रीड़ा 12/–)	32.00
7.	सोशल गेदरिंग	70.00
8.	चिकित्सा शुल्क	3.00
9.	पुस्तकालय (स्नातक) / स्नातकोत्तर	20.00 / 30.00
10.	छात्र कामन रूम (वाचनालय इत्यादि)	50.00
11.	रेडकास	40.00
12.	स्थानीय परीक्षा	50.00
13.	छात्र कल्याण शुल्क	20.00
14.	विश्व विद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150.00
15.	जनभागीदारी शुल्क –	
	1. जनभागीदारी विकास शुल्क	450.00
	2. अन्य शुल्क	50.00
	3. स्नातकोत्तर अध्यापन व्यवस्था	2500.00

(स) सुरक्षा निधि (CAUTION MONEY) :- (महाविद्यालय छोड़ने पर वापस की जाती है)

1	बी.ए. बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. (भाग–एक, दो, तीन)	60.00
2	एम.ए. हिंदी (प्रथम सेमेस्टर)	100.00

नोट –

1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन/हेमचंद यादव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा पारित किया जा सकता है ।
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है । महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है । केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण शुल्क का भुगतान कर चुका है वह शुल्क पुनः नहीं देना होगा । ऐसे छात्र को, महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. पूरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भगुतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

शुल्क संबंधी रियायतें –

शुल्क रियायत की पात्रता केवल पूर्ण कालिक छात्र को है –

1. छात्राओं को पूर्ण शिक्षण शुल्क की मुक्ति शासन द्वारा है ।
2. सभी वर्ग की छात्राएं शिक्षण शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क से मुक्त होगी ।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क की मुक्ति होगी ।
4. द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के वच्चों के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्नातक स्तर तक शिक्षण शुल्क मुक्त है ।
5. दो से अधिक भाई–वहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र मं अध्ययनरत हों तो वड़े को पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा शेष को आधा शिक्षण शुल्क देय होगा । अन्य शुल्क सभी को देय होगा ।
6. विद्यार्थी सहायता कोश से भी निर्धन छात्रों (जिसका चयन सहायता कोश समिति द्वारा होगा) को आर्थिक सहायता, शुल्क, पुस्तक आदि उपलब्ध होगी ।

18. पुस्तकालय :–

(अ) महाविद्यालय से नियमित स्नातक स्तर के छात्रों को पुस्तक निर्गमित होगी । पुस्तकें समय सीमा में लौटाना आवश्यक होगा । अन्यथा एक रूपया प्रतिदिन के हिसाव से विलंव शुल्क लगेगा।

(व) पुस्ताकालय की पुस्तकों का रख–रखाव की पूर्ण जवावदारी छात्र की होगी । निर्गमन के वाद विकृत होने पर पुस्तक या तो नई वसूली जायेगी अथवा वर्तमान मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य तथा पांच रूपये अर्थदण्ड वसूला जायेगा ।

19. पाठ्येत्तर क्रियाकलाप :–

(अ) खेलकूद – महाविद्यालय में छात्रों के लिए विभिन्न खेलकूद की सुविधा है – हॉकी, फूटवाल, क्रिकेट, वास्केटवाल, वैडमिंटन, शतरंज आदि एथलेटिक्स ।

(व) सांस्कृतिक गतिविधियां ।

20. प्रावीण्यता पदक (स्वर्ण मंडित) :–

संस्था में विभिन्न कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को दानदाता/नागरिकों द्वारा प्रदत्त प्रावीण्यता पदक प्रदान किया जाता है ।

21. छात्रवृत्तियाँ :–

छ.ग. शासन द्वारा वी.पी.एल. अनु.जाति, अनु. जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती है ।

12. आचार–संहिता :–

प्रत्येक छात्र/छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिशठा एवं कीर्ति में निरंतर वृद्धि हो। अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धुम्रपान एवं मादक पदार्थो का सेवन वर्जित है। कॉलेज की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येंक छात्र का दायित्व है। आंदोलन, हिंसा, आतंक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न निकालें अपितु उन्हें गुरूजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जायेगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों का भंग होने पर छात्र/छात्रा को कॉलेज से निश्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम :–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूशा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूशा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपने मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथावा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोवाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :–

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संवधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समय शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. *व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय मं पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरणमाना जायेगा।*

परीक्षां संबंधी नियम :–

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में सा उसके संवंध में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण मना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :–

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो वह उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा । महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सन्मुख करेंगे ।

23. बुक बैंक :–

महाविद्यालय में निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी,पी,एल, बुक बैंक की सुविधा है, परीक्षा अवधि तक के लिए पुस्तकों का डेढ गुना मूल्य जमा कर पुस्तकें ली जा सकती है,

विशेष –1, महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या व मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा,

2, प्रवेश के नियमों में छ,ग, शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है,

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
घुमका (छ.ग.)

लोक सेवा गारंटी - अनुसूची

क्र. सं.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
	समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित)	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		समस्त महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति का भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

जन सूचना अधिकारी (स) -

डॉ. केशवदास देशलहरा (सहा. प्राध्या. हिन्दी) मो. 9424106298

शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी (प्रभारी प्राचार्य)

1.	रिक्त	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र)
2.	रिक्त	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (प्राणीशास्त्र)
3.	डॉ.. एस. डी. त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)
4.	डॉ. के.डी. देशलहरा	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी)
5.	डॉ. रोहन प्रसाद	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)
6.	श्रीमती प्रिती खुरसैल	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (रसायन शास्त्र)
7.	श्री दीपक वर्मा	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास)
8.	श्री भारतेन्दू प्रसाद वर्मा	सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी)
9.	रिक्त	राजनीति शास्त्र
10.	रिक्त	गणित
11.	रिक्त	वनस्पति शास्त्र
12.	रिक्त	भौतिक शास्त्र
13	रिक्त	सहायक ग्रेड–2
14.	रिक्त	सहायक ग्रेड–3
15.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
16.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
17.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
18.	रिक्त	प्रयोगशाला तकनीशियन
19.	श्री खिलेश्वर हिरवानी	प्रयोगशाला परिचारक
20.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
21.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
22.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
23.	रिक्त	भृत्य
24	रिक्त	भृत्य
25.	रिक्त	बुक लिफ्टर
26.	रिक्त	स्वच्छक
27.	श्री श्यामलाल धोबी	चौकीदार
28.	श्री प्रमोद सिंह कंवर	कम्प्यूटर आपरेटर (ज.भा.मद)
29.	श्री ओमहरि साहू	कम्प्यूटर आपरेटर (ज.भा.मद)
30.	श्री महेश कुमार वर्मा	भृत्य (ज.भा.मद)
31.	श्री अश्वनी कुमार	सफाई कमर्चारी (ज.भा.मद)
31.	श्री ओम प्रकाश यादव	चौकीदार (ज.भा.मद)

टीप :– उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के निर्देशानुसार एवं स्ववित्तीय योजनांतर्गत अध्यापन की व्यवस्था की जाती है ।

शास. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका

जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

पूर्व की शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर :

शिक्षा नीति 1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
03 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	03 /04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम
क्रेडिट प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली
क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था	क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम एवं अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता
आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी	आंतरिक मूल्यांकन में 30 % एवं अंत सेमेस्टर में 70 % अंको का प्रावधान
आनर्स पाठ्य नहीं था	आनर्स /आनर्स विथ रिसर्च पाठ्यक्रम चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप की व्यवस्था नही थी	इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है
स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी	प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर क्रमशः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी।

ष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ :

- विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास।
- मूल्य परक, कौशल विकास, क्षमता संवर्धन के साथ जेनरिक इलेक्टिव विषय के अध्ययन से स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि।
- विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता के साथ रोजगार क्षमता एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।
- पूरे प्रदेश में समग्र शिक्षा होने से वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रो के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना।

शास. रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका
जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC, VAC का क्या तात्पर्य है ?

DSC- Discipline Specific Course (विषय विशिष्ट पाठ्यचर्या)- किसी विषय / डिसीप्लीन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यचर्या को ही DSC कहा जाता है । वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अन्तर्गत पूर्व की भाँति विद्यार्थियों द्वारा चयनित तीन विषय / डिलीप्लीन के DSC का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है ।

DSE- Discipline Specific Elective (सामान्य विशिष्ट ऐच्छिक)- किसी विषय / डिसीप्लीन के संबंधित विशेष शाखा की पाठ्यचर्या को DSE कहा जाता है । इसके अन्तर्गत इन्टर डिसीप्लीनरी पाठ्यचर्चा भी सम्मिलित किये जाते है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छानुसार विषय/डिसीप्लीन के DSE का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा ।

GE- Generic Elective (सामान्य ऐच्छिक)- मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय /डिसीप्लीन के कोर्स को ही GE के रूप में किया जायेगा । वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अन्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसीप्लीन के कोर्स का चयन GE के रूप में किया जायेगा । अर्थात कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विज्ञान के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स GE के रूप चयन कर सकते हैं । यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा GE का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से GE का चयन करना अथवा नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा ।

AEC- Ability Enhancement Course (योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्या)- सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाला को AEC कहा जाता है । इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान सम्बन्धित पाठ्यचर्या सम्मिलित होता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2-2 क्रेडिट के AEC का अध्ययन किया जायेगा । जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित हैं।

SEC- Skill Enhancement Course (कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) - उपयुक्त स्नातक में कौशलता कीयथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स का SEC कहा जाता है । प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में सेमेस्टर में अध्ययन किया जावेगा

VAC- Value Added/Addition Course (मूल्य वर्धित पाठ्यचर्या) - उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स का VEC कहा जाता है । प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्ययन किया जावेगा ।

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय

घुमका, जिला - राजनांदगांव

नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकित संस्था